न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 24 / 2025 　　　　　　　　　　　　　　　　　　दायर दिनांक–28.01.2025

1. मुखराम पुत्र झाबर जाति माली निवासी चिरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. सीता देवी पुत्री झाबर पत्नी महाबीर जाति माली निवासी चिराना हाल उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. धापू देवी पुत्री झाबर पत्नी प्रभूराम जाति माली निवासी चिराना हाल छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. भंवर देवी पुत्री झाबर पत्नी गिण्डूराम जाति माली निवासी चिराना हाल छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. सुणी देवी पुत्री झाबर पत्नी चौथूराम जाति माली निवासी चिराना हाल रामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. परमेश्वरलाल पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. गिरधारी लाल पुत्र लक्ष्मण
   6/1 नानूडी देवी पत्नी स्व0 गिरधारीलाल
   6/2 रामनिवास पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
   6/3 रोहिताश पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
   6/4 विनोद पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
   6/5 नानी बाई पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
   6/6 प्रेम देवी पत्नी स्व0 राकेश पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
7. गोपालराम पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. धूडारा पुत्र कालूराम जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. तेजाराम पुत्र शोभाराम जाति माली निवासी भाना की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
10. रामचन्द्र पुत्र आशाराम जाति माली निवासी भाना की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
11. बलदेव पुत्र रामू जाति माली निवासी ढाणी भाना की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिराना तहसील नवलगढ़।
14. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री
वकील अनावेदक :– एकपक्षीय

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 152 सी.पी.सी.</u>
<u>बाबत डिक्री में संसोधन करने हेतु।</u>

–:: <u>आदेश</u> ::–

दिनांक 20.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] विवरण इस प्रकार है कि :– वादी ने एक दावा बाबत दुरूस्ती रिकॉर्ड बंटवारा जमीन बाब[illegible] प्रस्तुत [illegible] था जिसमें प्रतिवादीगण ने सहमति प्रदान की थी। जिसमें सहमति के बाद न्यायालय ने उक्त प्र[illegible] निर्णय जारी किया था। तथा प्राथमिक निर्णय में रास्ता छोडकर बंटवारा किये [illegible] आदेश [illegible] किया गया था। न्यायालय [illegible] आदेशानुसार दिनांक 13.08.2022 की पालना [illegible] जिसमें भूमि खसरा नम्बर 514/[illegible] 524/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0400 है0 किस्म बारानी के स्था[illegible] पर गैर मु0 रास्ता संसाधित कि[illegible] जावे।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2022 को अंतिम डिक्री का निर्णय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा उक्त वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा उक्त खसरा नम्बरों में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि मौके पर उक्त खसरा नम्बरों में रास्ता मौजुद है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 प्रकरण संख्या 170/2020 में डिक्री के अंतर्गत ग्राम बागोरियां की ढाणी में भूमि खसरा नम्बर 2353/514 रकबा 0.240 है0, खसरा नम्बर 2355/524 रकबा 0.040 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.040 है0 किस्म बारानी के स्थान पर पर गै0मु0 रास्ता संसोधित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस वकील आवेदक पर मनन किया गया। वकील आवेदक द्वारा 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वाके ग्राम बागोरियां की ढाणी के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 2353/514 रकबा 0.240 है0, खसरा नम्बर 2355/524 रकबा 0.040 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.040 है0 भूमि की किस्म बारानी के स्थान पर गै0मु0 रास्ता दुरूस्त करने की रिलीफ चाही है। पत्रावली से संबंधित मूल वाद में तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 514/1 व 524/2 की किस्म बारानी 2 दर्ज है तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही उक्त वाद के निर्णय व डिक्री में खसरा नम्बर 514/1 व 524/2 की किस्म बारानी 2 अंकित की गई थी तथा निर्णय अनुसार तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त खसरा नम्बर की किस्म परिवर्तन अं0 धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के द्वारा करवाना चाहता है चुंकि 152 सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय द्वारा केवल लिपिकीय या आकस्मिक चूक के कारण हुई त्रुटियों को सुधारा जा सकता है ना की राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जा सकता है। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचंन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अं0 धारा 152 सी.पी.सी बाबत डिक्री में संसोधन करवाने हेतु खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested